मलवा निस्तारण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की कंटिग से निकलने वाले मलवे से 60% –75% भाग पत्थरों एवं बोल्डरों का होगा। जिनका उपयोग मार्ग की बाहर की ओर लगने वाली R/Wall & B/Wall का निर्माण पानी की निकासी हेतु मार्ग निर्माण एवं नाली के निर्माण में उपयोग किया जायेगा। अवशेष 40%–25% भाग से निकलने वाले मिट्टी का उपयोग मोड़ों पर सुपरएलीवेशन बनाने में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कुछ मात्रा मौजूद रहती है, तो उसका उपयोग पेड़ रहित भाग को सममतल करने में किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
ह0अ0
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
ह0अ0
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर - गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग
पौड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर राजि (सिविल)

मलवे के निस्तारण हेतु योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल- मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य से प्राप्त मलवे के निस्तारण हेतु निम्नलिखित योजनायें है।

कुल उत्सर्जित मलवा की मात्रा	—	**96650.00 घन मी0**
निस्तारित मलवा घटाइये		
1. मार्ग के खड्ड साइड की तरफ रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल निर्माण में तथा रिटेनिग वाल एवं मार्ग के बीच पत्थर भरान करके।	—	7000.00 घन मी0
2. स्कपर निर्माण में पत्थर भरान करके।	—	2000.00 घन मी0
3. सुपर एलिवेशन के निर्माण में भरान करके।	—	20000.00 घन मी0
4. मार्ग को समतल करने के लिये पत्थर का भरान करके।	—	22000.00 घन मी0
5. मार्ग के दलदल वाले भाग पर सोलिंग को (12 सेमी0 लूज) हेतु पत्थर का उपयोग करके।	—	2500.00 घन मी0
6. कॉजवे के निर्माण में पत्थर/बोल्डर का उपयोग किया जायेगा।	—	2000.00 घन मी0
7. मार्ग के ग्रेडिएन्ट को मलेव से भरान करके ठीक किया जायेगा।	—	20000.00 घन मी0
कुल मलवा	—	**75500.00 घन मी0**
डम्पिंग हेतु कुल शेष मलवा	—	**21150.00 घन मी0**

उपरोक्त योजनाओं द्वारा पहाड़ कटान से प्राप्त मलवे का उपयोग मार्ग निर्माण में कर लिया जायेगा, तथा अवशेष मलवे को नाप भूमि में बने डंम्पिंग जोन 1 से 8 में डम्प कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर रेंज (सिविल)

सड़क निर्माण में उत्सर्जित मलवे के उपचार सम्बन्धी योजना/प्राक्कलन वर्ष

2010–11

मोटर मार्ग का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

लम्बाई :– २.४०० किमी0

प्रभावित वन भूमि :– 4.435 हैक्टे0

क्र0सं0	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजाति का रोपण/बीज बुआई मय गड्ढे खुदान, भरान व अन्य कार्य।	0.5 हैक्टे0 (प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण योजना में चिन्हित स्थलों पर)	31000.00	15500.00
2	वानस्पतिक चैकडेम निर्माण	7 नं0	2000.00	14000.00
3	क्रेटवायर चैकडेम निर्माण	7 नं0	10000.00	70000.00
4	आर0आर0ड्राई निर्माण।	8 नं0	10000.00	80000.00
	कुल योग –			**1,79,500.00**
			(एक लाख उन्नासी हजार पांच सौ मात्र)	

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर - गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर रेंज (सिविल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग
पौडी

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण की समानचित्र योजना

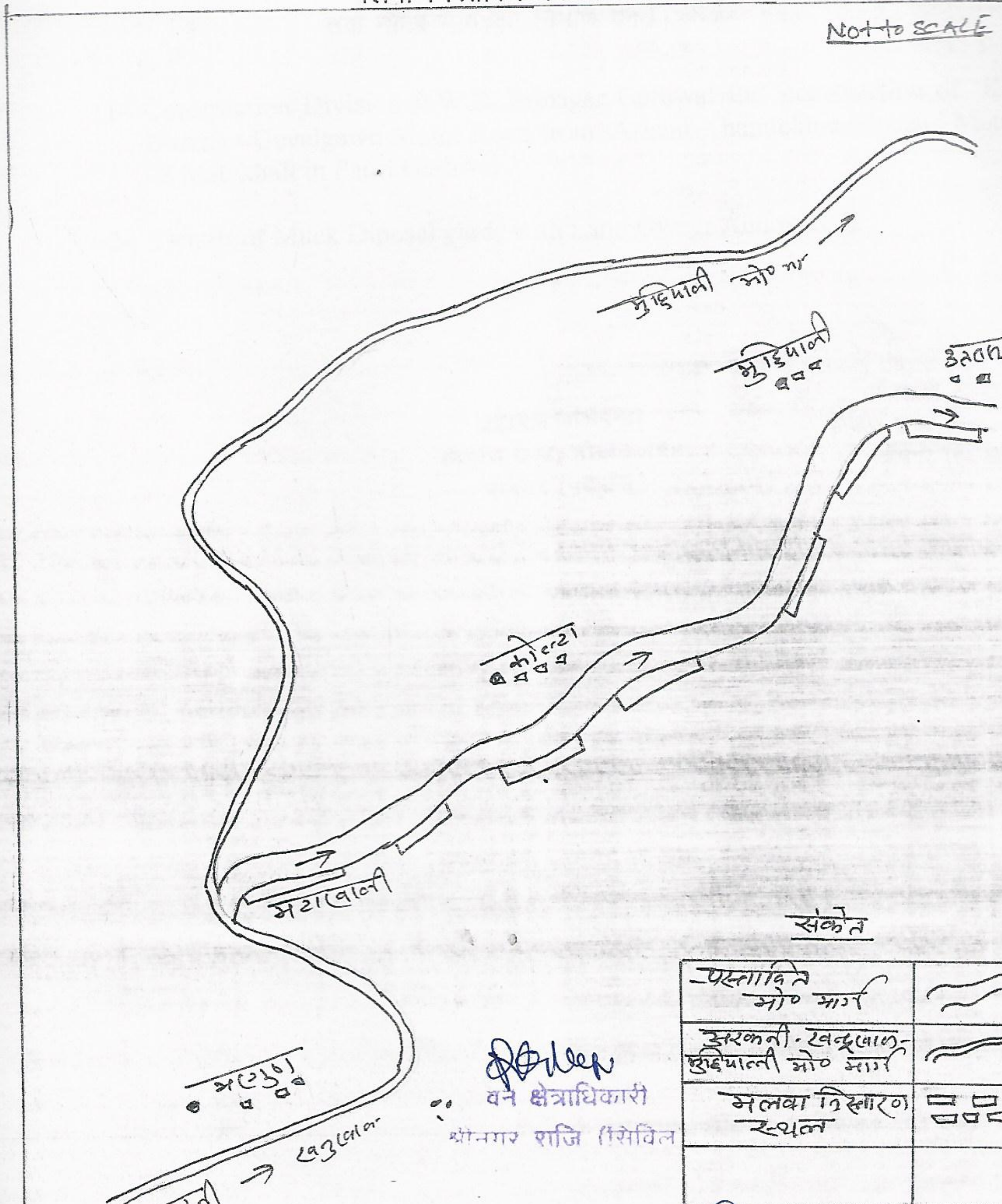

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर रेंज सिविल

सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	प्रभागीय वनाधिकारी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०	निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०	सिविल सोयम वन प्रभाग
श्रीनगर (गढ़वाल)	श्रीनगर - गढ़वाल	पौड़ी

62A

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल– मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

1- Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal for construction of Kolta-Muchali-Uttrashu-Develgawn Motor Road from Arkani-Khandukhal-Muchali Motor Road Km. 08 Matakhali in Pauri Garhwal .

2- Details of Muck Diposal yards with Land Owner Annexure II

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

62B

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल– मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल

योजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल– मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 टाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

Location and Quantity of Debries disposed

कि0मी0 नं0 जहां मक डिस्पोजल किया जाना है।	डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थान का चैनेज	प्रस्तावित स्थान का साईज मी0 में	भूमि का प्रकार	प्रस्तावित स्थान की मक डिस्पोजल क्षमता घन मी0 में
Km-01	X-S 0/4 to 0/10	175.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	4725.00 घन मी0
Km-02	X-S 1/33 to 1/39	150.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	4050.00 घन मी0
Km-03	X-S 2/8 to 2/14	100.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	2700.00 घन मी0
Km-04	X-S 3/25 to 3/31	125.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	2250.00 घन मी0
Km-05	X-S 4/30 to 4/36	75.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	2025.00 घन मी0
Km-06	X-S 5/30 to 5/36	90.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	2430.00 घन मी0
Km-07	X-S 6/14 to 6/20	70.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	1890.00 घन मी0
Km-08	X-S 7/25 to 7/31	40.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	1080.00 घन मी0
		Total		**21150.00** घन मी0

Summary of Muck/debries disposal

Total Debries obtain from Road Cutting	Material disposal by cartage	Material used for raod construction work	Total disposal in Dumping Zone	Balance Debries
96650.00 Cum	21150.00 Cum	75500.00 Cum	21150.00 Cum	NIL

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

योजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल– मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 खाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Cainager	Name of land owner & village	Land in Hec	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sqm)	North	East
Km-01 X-S 0/4 to 0/10	श्री नवल किशोर ग्राम मरगुण	0.120	1200.00	1200.00	30° 12' 53.20"	78°41'01.78"
Km-02 X-S 1/33 to 1/39	श्री सीताराम ग्राम कोल्टा	0.075	750.00	750.00	30° 12' 26.23"	78°40'86.60"
Km-03 X-S 2/8 to 2/14	श्री सीताराम ग्राम कोल्टा	0.045	450.00	450.00	30° 12' 30.61"	78°40'29.28"
Km-04 X-S 3/25 to 3/31	श्री प्रेमलाल ग्राम मुछियाली	0.120	1200.00	1200.00	30° 12' 36.20"	78°40'10.90"
Km-05 X-S 4/30 to 4/36	श्री मथुरा प्रसाद ग्राम मुछियाली	0.120	1200.00	1200.00	30° 12' 16.10"	78°40'01.78"
Km-06 X-S 5/30 to 5/36	श्री जोत सिंह ग्राम मुछियाली	0.120	1200.00	1200.00	30° 12' 05.12"	78°39'30.83"
Km-07 X-S 6/14 to 6/20	श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री आनन्द सिंह ग्राम धौली लगा मुछियाली	0.120	1200.00	1200.00	30° 12' 04.21"	78°39'01.00"
Km-08 X-S 7/25 to7/31	श्री दयाल लाल ग्राम उतरासू	0.120	1200.00	1200.00	30° 11' 31.73"	78°38'45.00"

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत अरकनी – खन्दूखाल – मुछियानी के किमी 08 से मटाखाली स्थान से मुछियाली होते हुए देवलगॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.800किमी0)

Legend

- Proposed Plantation
- Proposed Road
- Other Proposed Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- मलवा निस्तारण हेतु स्थल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर रेंज (सिविल)

परियोजना का नाम :— जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी—खन्दूखाल— मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा—मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	कि0मी0 नं0 जिनका मक डिस्पोजल किया जाना है।	डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थान कि0मी0	लम्बाई—चौड़ाई मी0 में	क्षेत्रफल घन मी0 में
1	Km-01	X-S 0/4 to 0/10	175.00 x 9.00x3.00	4725.00 घन मी0
2	Km-02	X-S 1/33 to 1/39	150.00 x 9.00x3.00	4050.00 घन मी0
3	Km-03	X-S 2/8 to 2/14	100.00 x 9.00x3.00	2700.00 घन मी0
4	Km-04	X-S 3/25 to 3/31	125.00 x 9.00x3.00	2250.00 घन मी0
5	Km-05	X-S 4/30 to 4/36	75.00 x 9.00x3.00	2025.00 घन मी0
6	Km-06	X-S 5/30 to 5/36	90.00 x 9.00x3.00	2430.00 घन मी0
7	Km-07	X-S 6/14 to 6/20	70.00 x 9.00x3.00	1890.00 घन मी0
8	Km-08	X-S 7/25 to 7/31	40.00 x 9.00x3.00	1080.00 घन मी0
		Total		**21150.00** घन मी0

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर रेंज (सिविल

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

64A

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकण्डी-खन्दुखाल-सुद्धियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 06 भलारवाली से कोल्ठा, सुद्धियाली होते हुये ग्राम उत्तराखु देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

X-S 0/4 To 0/10

X-S 1/33 To 1/39

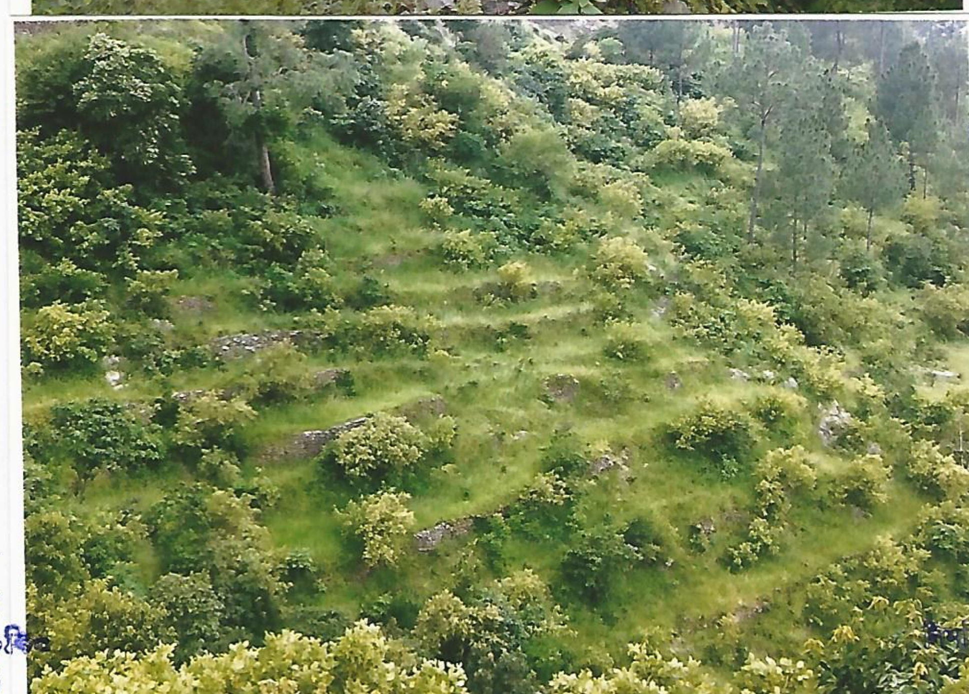

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

X-S 2/8 To 2/14

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(608)

कार्य का नाम : जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अदूकनी-खन्डुस्वाल-सुखियाल) मो० मार्ग के कि०मी० 2 से मलारवाली से कोल्ठा-सुखियाली होते हुये ग्राम उत्राधु देवलगाँव तक मो० मार्ग का निर्माण कार्य।

X-S 3/25 To 3/31

X-S 4/30 To 4/36

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, व० प्र०
पौड़ी (गढ़वाल)

X-S 5/30 To 5/36

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

64C

X-S 6/14 To 6/20

X-S 7/25 To 7/31

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौडी (गढ़वाल)

Name of work- Construction of Kolta Muchali - Utarasu - Devalgawn Motor Road from Arkani - Khandulchal - Muchali M/Road from Km - 08 Matalchali in Pauri Garhwal.

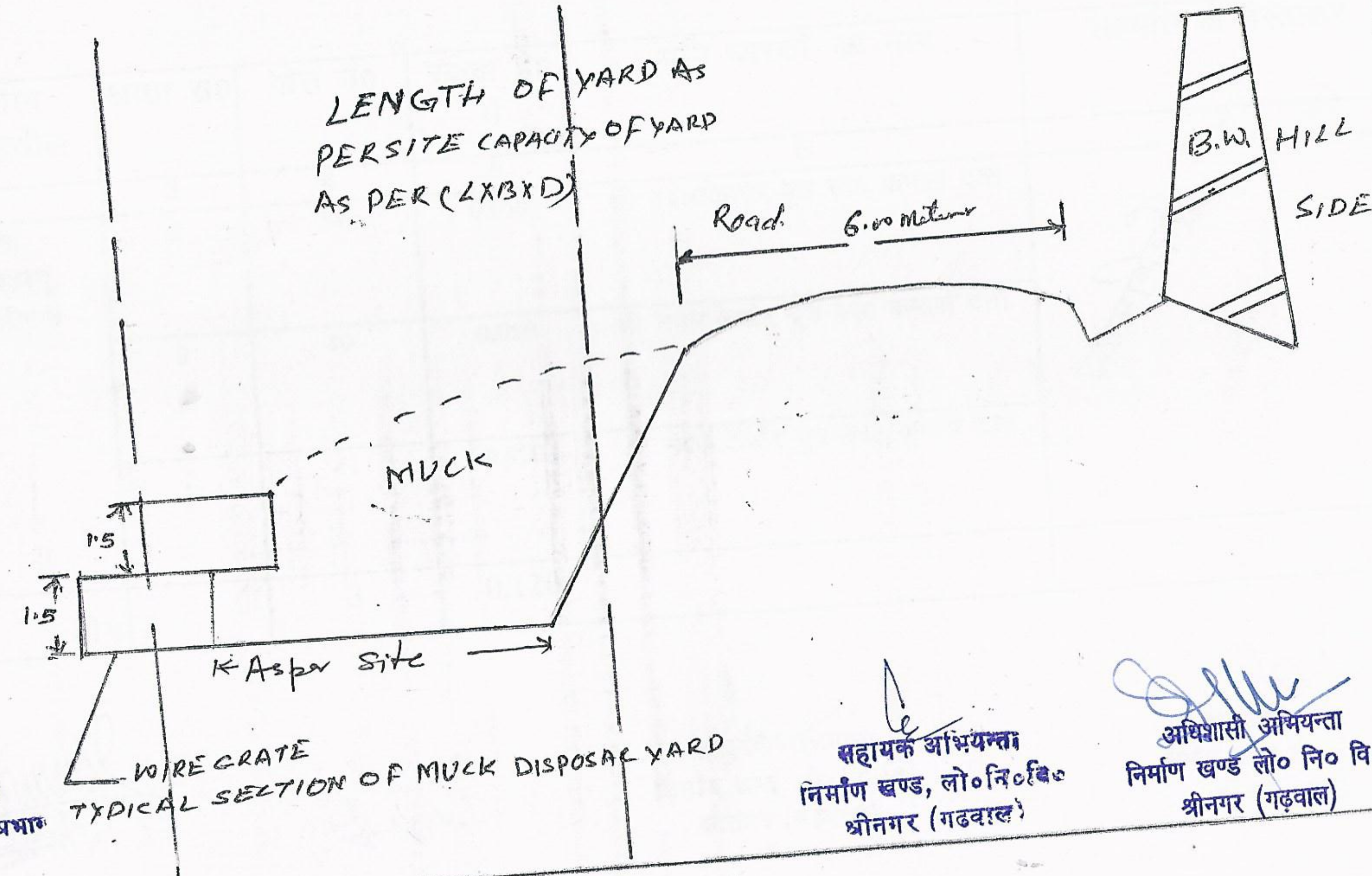

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

मार्ग :— जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मो0मार्ग के कि0मी0 8 गटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0मार्ग का निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु राजस्व भू–धारकों का सहमति प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम, पट्टी, तहसील	खाता सं0	खेत नं0	रकवा हे0 में	भूमि धारकों का नाम	सहमति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1	मरगुण, पट्टी रावतस्यूं, तहसील–श्रीनगर	2	39	0.050	श्री नवलकिशोर पुत्र स्व0 कमला दत्त	नवलकिशोर
		2	40	0.050	श्री नवलकिशोर पुत्र स्व0 कमला दत्त	
		2	41	0.020	श्री नवलकिशोर पुत्र स्व0 कमला दत्त	
योग			3	0.120		

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

नायब तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

67

मार्ग :— जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मो0मार्ग के किमी0 8 मटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0मार्ग का निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु राजस्व भू—धारकों का सहमति प्रमाण—पत्र

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम, पट्टी, तहसील	खाता सं0	खेत नं0	रकवा हे0 में	भूमि धारकों का नाम	सहमति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1	कोल्टा, पट्टी बनगढ़स्यूं, तहसील—श्रीनगर	23	1085	0.075	श्री सीता राम पुत्र स्व0 श्री शिव राज	सीता राम
		23	1086	0.045	श्री सीता राम पुत्र स्व0 श्री शिव राज	
योग			4	0.120		

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

नायब तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

(87)

मार्ग :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मो0मार्ग के किमी0 8 मटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0मार्ग का निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु राजस्व भू–धारकों का सहमति प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम, पट्टी, तहसील	खाता सं0	खेत नं0	रकवा हे0 में	भूमि धारकों का नाम	सहमति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1	मुछियाली, पट्टी बनगढ़स्यूं, तहसील–श्रीनगर	6	2386	0.120	श्री प्रेम लाल पुत्र स्व0 श्री भवानी दत्त्त	
		29	400	0.070	श्री मथुरा प्रसाद पुत्र स्व0 श्री हृदय राम	
		29	401	0.050	श्री मथुरा प्रसाद पुत्र स्व0 श्री हृदय राम	
		49	53	0.120	श्री जोत सिंह पुत्र स्व0 श्री कलम सिंह	Joth Singh
	योग		4	0.360		

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

तहसीलदार

(67)

मार्ग :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मो0मार्ग के किमी0 8 मटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0मार्ग का निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु राजस्व भू–धारकों का सहमति प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम, पट्टी, तहसील	खाता सं0	खेत नं0	रकवा हे0 में	भूमि धारकों का नाम	सहमति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1	धौली लगा मुछियाली, पट्टी बनगढ़स्यूं, तहसील–श्रीनगर	12	284	0.060	श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री नैन सिंह	
		12	287	0.060	श्री आनन्द सिंह पुत्र स्व0 श्री नैन सिंह	
	योग		2	0.120		

[illegible]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[illegible] तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

मार्ग :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी खन्दुखाल मुछियाली मो0मार्ग के किमी0 8 मटाखोली से कोल्टा मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मो0मार्ग का निर्माण कार्य।

मलवा निस्तारण हेतु राजस्व भू–धारकों का सहमति प्रमाण–पत्र

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम, पट्टी, तहसील	खाता सं0	खेत नं0	रकवा हे0 में	भूमि धारकों का नाम	सहमति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1	उतरासू, पट्टी बनगढ़स्यूं, तहसील–श्रीनगर	4	166	0.080	श्री दयाल लाल पुत्र स्व0 कमला	दयाल लाल
		4	169	0.020		
		4	170	0.020		
	योग		3	0.120		

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

नायब तहसीलदार
श्रीनगर गढ़वाल

(69)

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल– मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

1. वृक्षारोपण स्थल का नाम :– मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

2. वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :– 4.435 है0

2. रोपित किये गये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000) =

3. रोपित की जाने वाली प्रजातियां :– तुन, बांझ, बुरांस, देवदार आदि

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्र	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3		4	5
(1)	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य :–				
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.435	है0	71.000	314.88
2	स्थल सफाई कार्य	4.435	है0	2315.000	10267.02
3	दीवालबन्दी कार्य/फनिसंग (150 मी0 प्रति है0=81 घ0मी0 @ 172/घ0मी0	4.435	है0	13932.000	61788.42
4	गड्ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखाकंन चूना सहित	780	गड्ढे	4.930	3845.40
5	डी0ए0पी0 खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्ढा	390	किग्रा	11.000	4290.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रू0 प्रति है0)	4.435	है0	400.000	1774.00
7	पौधे की कीमत (प्रथम वर्ष)	780	पौधे	4.000	3120.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है0) के आधार मानते हुये				
	1. वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8x4175.00= 33400.00	4.435	है0	56800.000	251908.00
	2. वाटर हरवेस्टिंग टेंक (3x2.50x10)5x4680= 23400.00				
	योग :– 56800.00				
	योग– प्रथम चरण				**337307.72**
(2)	द्वितीय चरण, रोपण कार्य				
1	झाड़िया कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	4.435	है0	1172.00	5197.82
2	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	780	गढ्ढा	0.88	686.40
3	पौध ढुलान कार्य	780	पौध	6.00	4680.60
4	पौध रोपण व थालाबन्दी कार्य	780	पौध	1.72	1341.60
5	पोधों की प्रथम निराई–गुंडाई व मलचिंग कार्य	780	पौध	1.18	920.40
6	पौधों की द्वितीय निराई–गुडाई व मलचिंग कार्य	780	पौध	1.01	787.80
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	780	पौध	1.00	780.00
8	प्रथम वर्ष में देख–रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	4.435	है0	1278 प्रतिमाह/न्यूनतम मजदूरी	11502.00
9	अन्य कार्य	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग– द्वितीय चरण				**28114.12**
	योग– प्रथम चरण + द्वितीय चरण				**365421.84**

(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है0				
1	पौध की लागत	780	पौध	5.00	3900.00
2	पौध ढुलान कार्य	780	पौध	6.00	4680.00
3	पुनः गड्ढे खोदना एवं रोपण कार्य	780	पौध	3.00	2340.00
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	780	पौध	1.21	943.80
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	780	पौध	1.01	787.80
6	वनीकरण चौकीदार (12माह) 1 वर्ष	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग तृतीय चरण				**30205.10**
(4)	चतुर्थ चरण (रख–रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग चतुर्थ चरण				**17553.50**
(5)	पंचम चरण (रख–रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग पंचम चरण				**17553.50**
(6)	छठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग छठवां चरण				**17553.50**
(7)	सातवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग सातवां चरण				**17553.50**
(8)	आठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग आठवां चरण				**17553.50**

(9)	नवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग नवां चरण				**17553.50**
(10)	दसवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.435	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.435	है0	500.00	2217.50
	योग दसवें चरण				**17553.50**
	कुल धनराशि	प्रथम चरण			337307.72
		द्वितीय चरण			28114.12
		तृतीय चरण			30205.10
		चतुर्थ चरण			17553.50
		पंचम चरण			17553.50
		षष्ठम चरण			17553.50
		सप्तम चरण			17553.50
		अष्टम चरण			17553.50
		नवम चरण			17553.50
		दशम चरण			17553.50
		कुल योग			**518501.44**

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

उप मृदाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

मक निस्तारण का का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से निकलने वाले मलवे का उपयोग दीवार निर्माण व समतलीकरण में किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐंसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिंसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

सहायक अभियन्ता

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर - गढ़वाल